छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 30 जुलाई, 2009 (श्रावण 8,1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का परफार्मेंस बजट पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-

(i) एफ-10-51/2008/वाक/पांच(40) दिनांक 26 जून 2008 एवं

(ii) एफ-10-20/2009/वाक/पांच(31) दिनांक 30 मई 2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री रामजी भारती, सदस्य, जिला राजनांदगांव में पटेवा-जुरलाखुर्द मार्ग निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीर धाम विकासखण्ड सहसपुर लोहारा अंतर्गत ग्राम पंचायत दानी घटोली में उपयंत्री व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण बिकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, बिलासपुर से मोपका मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. शिव कुमार डहरिया, सर्वश्री नंद कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, जिला रायपुर बिकासखण्ड अभनपुर के ग्राम छछानपैरी की चारागाह की जमीन का क्रय-विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. हरिदास भारद्वाज,डॉ. शक्राजीत नायक, श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा में गड़बड़ी किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रविन्द्र चौबे, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्री संतोष बाफना, सदस्य, जिला बस्तर में मलेरिया से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री नंद कुमार पटेल, सभापति, लोक लेखा समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अठ्ठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताइसवां, अठ्ठाइसवां, उन्तीसबां तथा तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
- (i) ग्राम नगपुरा में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण करने,
- (ii) ग्राम रसमड़ा में संचालित हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,
- (iii) रिसाली (भिलाई) में तीस बिस्तर अस्पताल खोलने,

(2) श्री अजीत जोगी, सदस्य, मरवाही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
- (i) ग्राम सिलपहरी में संचालित हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,
- (ii) विकासखण्ड गौरेला के ग्राम धनौली में संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,
- (iii) ग्राम अंधियारखोर में संचालित हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,
- (iv) मरवाही में पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण करने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत ग्राम गढ़ोला एवं ग्राम चोरभट्ठी के मध्य स्थित नाले पर पुल निर्माण करने,

(4) श्री बोधराम कंवर, सदस्य, जिला कोरबा अंतर्गत -
- (i) विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम जवाली में संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,
- (ii) विकासखण्ड पाली के ग्राम नोनबिर्रा में संचालित हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,
- (iii) विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम धुड़देवा में संचालित हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,
- (iv) विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम जवाली एवं ग्राम सिंघाली के मध्य खोलार नाले पर पुल निर्माण करने,

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, विकासखण्ड प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम लोलकी में हाई स्कूल खोलने,

(6) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम औराईमुड़ा में हाई स्कूल खोलने,

(7) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य, कोटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
- (i) ग्राम आमागोहन से मोहली पहुंच मार्ग पर अरपा नदी में पुल निर्माण करने,
- (ii) नगर पंचायत रतनपुर में बाईपास रोड निर्माण करने,
- (iii) विकासखण्ड गौरेला अंतर्गत ग्राम ठेंगाडांड में हाई स्कूल खोलने,

(8) श्री लेखराम साहू, सदस्य, कुरूद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिलौटी में कन्या माध्यमिक शाला खोलने,

(9) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
- (i) ग्राम पंचायत तनौद में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने तथा
- (ii) ग्राम पंचायत भिनौली में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय
15 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवजी पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 29 जुलाई, 2009

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2009 सत्र

गुरूवार, दिनांक 30 जुलाई, 2009 (श्रावण-8, 1931)

की

अनुपूरक कार्यसूची

कार्यसूची के पद 2 पत्रों का पटल पर रखा जाना के उप पद(2) के पश्चात निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ा जाय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खंड(4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे ।

तथा

कार्यसूची के पद क्रमाक -3 '' नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण'' के उप पद (6) के पश्चात

(7) डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर के स्वास्थ्य सेवा ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(8) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य जल संसाधन विभाग पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर में केन्दा डायवर्सन योजना अंतर्गत निविदा संबंधी कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(9) श्री भोलाराम साहू, सदस्य जिला राजनांदगांव में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(10) श्री रामजी भारती, सदस्य डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तिलई स्कूल भवन निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(11) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य निजी इंजीनियरिंग कालेजों में व्याप्त अनियमितता की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(12) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य राजधानी रायपुर के सार्वजनिक नलों से पानी बर्बाद होने तथा तालाबों के सौंदर्यीकरण कार्य में विलंब होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(13) श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य जिला धमतरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(14) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य मुख्य अभियंता हसदेव बासीन जल संसाधन बिलासपुर द्वारा मुंगेली डिविजन अंतर्गत सी.सी. लाइनिंग की निविदा संबंधी कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(15) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य जिला जांजगीर-चांपा में किसानों को नकली खाद वितरित किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(16) डॉ. रेणु जोगी, सदस्य प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत बिलिंग में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(17) श्री अजीत जोगी, सदस्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में केन्द्र शासन द्वारा प्रदत्त पेयजल गुणवत्ता की राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(18) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य प्रदेश में लूट की वारदातों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(19) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य जिला रायगढ़, विकासखंड पुसौर, ग्राम कोडपाली में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(20) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत खरसिया रेंज में वन विभाग द्वारा रोजगार गांरटी योजना की राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(21) श्री देवजी पटेल, सदस्य प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(22) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य जिला रायपुर के तिल्दा क्षेत्र में शासकीय जमीन के आबंटन में अनियमितता किये जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(23) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य नगर निगम, भिलाई में शहरी निर्धन बीमा योजना में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(24) डॉ. शिव कुमार डहरिया, श्री रविन्द्र चौबे, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य जिला रायपुर, विकासखंड कसडोल में डुमरपाली से छतवन तक सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीम विकास मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(25) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य भिलाई सेक्टर-6 की एक बालिका के लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(26) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य विकासखंड बेमेतरा के छात्रों को राष्ट्रीय गाइड जंबूरी में भाग लेने गए एक छात्र की शिक्षकों की लापरवाही से मृत्यु होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(27) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अंडा-उतई से धौराभांठा मार्ग निर्माण में गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(28) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(29) श्री रूद्र कुमार गुरू, श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य राजधानी रायपुर में नियम विपरीत भू-खंड बेचे जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(30) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, राजू क्षत्रिय, सदस्य सेन्ट्रल जेल, रायपुर में व्याप्त अव्यवस्था की ओर जेल मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(31) श्री गुरूमुख सिंह होरा, सदस्य जिला धमतरी में अवैध शराब की बिक्री की जाने की ओर आबकारी मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(32) श्री लेखराम साहू, सदस्य जिला धमतरी, विकासखंड कुरूद, ग्राम कमरौद में स्टाप डेम निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(33) डॉ. हरिदास भारद्धाज, सदस्य जिला महासमुंद में किसानों को पंप हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(34) श्री सौरभ सिंह, सदस्य जिला जांजगीर-चांपा विकासखंड बलौदा, ग्राम कोरबी में शालाभवन निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(35) डॉ. रेणु जोगी, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं प्रदूषण मंडल में व्याप्त अनियमितता एवं अराजकता की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

(36) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य नगर पंचायत लैलूंगा में दुकान आबंटन में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे ।

सम्मिलित कर पढ़ा जाय ।

रायपुर
दिनांक 30 जुलाई, 2009

देवेन्द्र वर्मा
सचिव